अपील सूचना अधिकार संख्या 124/2020 (RCMS 2020/00210) एडवोकेट गोपाल सिंह, ग्राम पोस्ट अर्जुनसर तहसील लुनकरणसर जिला बीकानेर (मो. 98299-95829) बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

28.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाल सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2020 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी के वेतन में से 50,000/— रूपये का हर्जा खर्चा प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने और वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गोपाल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी :

1. यह कि सूरतगढ़ क्षेत्र में संचालित ईट भट्टा पवन ईंट भट्टा, दीपिका ईंट भट्टा एवं बागड़ी ईंट भट्टा के मालिकों द्वारा ईंटो के निर्माण हेतु जिन ट्यूबवेलों (कुओं) से पानी का दोहन किया जा रहा है उनकी स्वीकृति जिस विभाग से ली गई उसका नाम एवं स्वीकृति हेतु किए गए आवेदन पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करावें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. यह कि उक्त अवधि में सूरतगढ़ क्षेत्र में संचालित ईंट भट्टा पन ईंट भट्टा, दीपिका ईंट भट्टा एवं बागड़ी ईंट भट्टा के मालिकों द्वारा भट्टा संचालन हेतु जितने पेड़ों को काटा गया उनकी संख्या बतावें।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक सूकाअ/2020/3254 दिनांक 04.08.2020 को सहायक खनि. अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर को लिखा है और पत्रांक सम/3255 दिनांक 04.8.2020 से अपीलार्थी को भी निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी गोपाल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर सूरतगढ क्षेत्र में संचालित ईंट भट्टा, पवन ईंट भट्टा, दीपिका ईंट भट्टा एवं बागड़ी ईंट भट्टा के सम्बन्ध में सूचना चाही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत मूल ही मय पोस्टल ऑर्डर रू. 10/– (48 एफ 412182) आपको हस्तान्तरित(Transfer)किया जाता है। आप आवेदक को अधिनियम के प्रावधानों के तहत वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में नियमानुसार उपलब्ध करवाने का श्रम करें। यदि वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो आवेदन पत्र सीधे की निकटतम संबंधित कार्यालय को भिजवाकर आवेदन को सूचित करावें।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने दिनांक 04.08.2020 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किया जा चुका है और न ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत खनि अभियंता एवं खान व भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत है। इसलिए अपील के गुण दोष पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी को खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील पेश करनी चाहिए।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर